सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00016

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 02/2018

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. मनदीप सिंगला पुत्र किशनचन्द सिंगला जाति अग्रवाल निवासी श्रीराम कॉलोनी, हाउस नम्बर 22 श्रीगंगानगर
   मै0 जय श्री टेड्रिंग कम्पनी, प्लोट नम्बर बी–3 नारगपती, 3 –ई छोटी श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 26.02.2018**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.03.2017 को दोपहर 12.15 पी.एम.पर फर्म मै0 जय श्री टेड्रिंग कम्पनी, प्लोट नम्बर बी–3 नारगपती, 3 –ई छोटी श्रीगंगानगर पहुंचा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म मालिक मनदीप सिंगला पुत्र किशनचन्द सिंगला मै0 जय श्री टेड्रिंग कम्पनी, प्लोट नम्बर बी–3 नारगपती, 3 –ई छोटी श्रीगंगानगर, खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को **Mustard oil (Aditya Brand)** आदि विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **Mustard oil (Aditya Brand)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की ,दुकान में फर्श पर रखे कार्टून में बिक्री हेतु मौजूद 50X1 ltrs. **Mustard oil (Aditya Brand)** में से 4X1 लिटर पैक्ड बोतल **Mustard oil (Aditya Brand)** खरीदी एवं कीमत 300/– रू अदा किये एवं रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा **Mustard oil (Aditya Brand)** को चारो नमूना प्लास्टिक बोतालों में बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक नमूना बोतलों पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना बोतलों को कोर्क से

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

FSS Case No. 02/2018

एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–779 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता मनदीप सिंगला ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः एलएस/753/एक्ट/2017/820 दिनांक 24.04.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–779 **Mustard oil (Aditya Brand) अमानक स्तर (substandard Food & Mis branded Food)** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त मनदीप सिंगला पुत्र किशनचन्द सिंगला मै0 जय श्री टेड्रिंग कम्पनी, प्लोट नम्बर बी–3 नारगपती, 3 –ई छोटी,श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mustard oil (Aditya Brand)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 11.01.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Mustard oil (Aditya Brand)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (substandard Food & Mis branded Food) पाया गया है। यह तेल लूज खरीदा गया था उसको पैक किया गया था। शायद लूज तेल में ही किसी कमी के कारण यह नमूना सब स्टेन्डर्ड पाया गया है। मेरी ओर से इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है जैसा प्राप्त हुआ है वैसा ही पैक किया गया है। भविष्य में मैं अच्छी किस्म का तेल , पैक करने से पहले , नमूने की जांच करवाकर ही खरीदूंगा। इसमें मै मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में मैस इस प्रकार की कोई गलती नहीं करूंगा। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mustard oil (Aditya Brand)** का सैम्पल के–779 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/753/एक्ट/2017/820 दिनांक 24.04.2017 द्वारा **(substandard Food & Mis branded Food)** होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 02– **Mustard oil (Aditya Brand)** = 186-56 पाया गया जबकि Minimum 168-0 to 177-0 प्रतिशत होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहण्त जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Mustard oil (Aditya Brand)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (substandard Food & Mis branded Food) पाया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गया है। यह तेल लूज खरीदा गया था उसको पैक किया गया था। शायद लूज तेल में ही किसी कमी के कारण यह नमूना सब स्टेन्डर्ड पाया गया है। मेरी ओर से इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है जैसा प्राप्त हुआ है वैसा ही पैक किया गया है। भविष्य में मैं अच्छी किस्म का तेल , पैक करने से पहले , नमूने की जांच करवाकर ही खरीदूंगा। इसमें मै मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में मैस इस प्रकार की कोई गलती नहीं करूंगा। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mustard oil (Aditya Brand)** " bearing Code No. and Sr. No. K-779 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **substandard Food & Mis branded Food** Under Section 3[1][zx] & 3[1][zf][c][i] of FSS Act ,2006 Neither conform to the Prescribed Purity standards of mustaard oil nor labelled accourdance to the regulation no- 2.2.2[10] of FSS. (Food Products Standards and Food additive) Regulation, 2011. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 4,000–00 (अखरे रूपये चार हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में छैना पैस्टी **Mustard oil (Aditya Brand)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/18

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर